न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2018 अपील

उनवान

श्री उदयलाल पिता स्व0 श्री मन्ना अहीर निवासी तिलस्वा त0 बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला–भीलवाडा (राज0)

—— अपीलार्थी

——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा75 रा0भू0रा0अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार बिजौलिया द्वारा पारित आदेश ना0सं0 158 ग्राम माहुपुरा दिनांक 29.11.2001

उपस्थित :– श्री जयकुमार जैन अधि0 अपीलार्थी की ओर से
राजकीय अधि0 उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 27/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बिजौलिया नामान्तरकरण संख्या 158 ग्राम माहुपुरा निर्णय दिनांक 29.11.2001 के खिलाफ दिनांक 22.01.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम माहुपुरा में स्थित आ0नं0 69 रकबा 2.00 बीघा, व आ0नं0 101 रकबा 1.13 बीघा कुल कीता 02 कुल रकबा 3.13 बीघा भूमि विक्रेता खातेदार श्री जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत के नाम दर्ज होकर उनका 1/2 हिस्सा दर्ज था उसको जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 21.09.2000 को अपीलार्थी ने खरीद कर मौके पर काबिज हुआ तभी से आज तक अपीलार्थी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नामान्तरकरण खोलते वक्त विक्रेतागण के 1/2 हिस्से को लिपिकीय भूल से अपीलार्थी के नाम दर्ज न करके मात्र 4/10 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं शेष 1/10 हिस्सा विक्रेतागण जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत के नाम ही दर्ज कर दिया एवं यह गलत एवं विक्रयपत्र के विपरीत अशुद्ध इन्द्राज लगातार आगे की रोटेशन की जमाबन्दी में चलता गया एवं आज भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जिस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना प्रथम दृष्टया ही न्यायोचित है क्योंकि विक्रेतागण का आराजी नम्बर 96 व 101 में विक्रय करने के पश्चात उनका 1/2 हिस्से में कोई भूमि अवशेष नहीं रहती है। रेस्पोडेन्ट के समक्ष नामान्तरकरण खोलत वक्त उस समय की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी में खातेदार जगन्नाथ, मथुरा, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत हिस्सा 1/2 दर्ज था एवं कैफियत में खातेदार मथुरा के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

फौत हो जाने से मथुरा की जगह विरासत से नामा0सं0 147 दिनांक 05.02.2001 का अंकन होकर सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत के नाम दर्ज हो गया। अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन हो जाने की जानकारी जब उसने वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी दिनांक 22.12.2007 को प्राप्त की एवं विक्रय के आधार पर किए गए नामान्तरकरण संख्या 158 की प्रति प्राप्त की तब इसकी जानकारी हुई। जानकारी होते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। मियाद को कण्डोन करने के लिए अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 158 निर्णय दिनांक 29.11.2001 पर पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं नियमानुसार इस बाबत राजस्व अभिलेख में सही प्रविष्टि अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र के अनुसार किए जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। अपील मेमों के साथ ग्राम माहुपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 खाता संख्या 55, अपीलान्ट के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.09.2000 की फोटो प्रति , नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 29.11.2001 की प्रमाणित फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 की प्रति पेश की। प्रत्यर्थी तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्रांक 249 दिनांक 22.02.2018 से इस न्यायालय को प्रेषित की जिसके साथ नामान्तरकरण संख्या 147 ग्राम पंचायत तिलस्वा से निर्णित दिनांक 05.02.2001 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड/रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 26/06/2018 को वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील को स्वीकार किए जाने अथवा रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया। राजकीय अभिभाषक के द्वारा बहस में निवेदन किया कि भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2001 उचित होने से यथावत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के आदेश के सम्बन्ध में तहसील से राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त करने पर दिनांक 22.12.2017 को जानकारी होने पर उसी दिन आवेदन प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त की गई। अपीलान्ट ने दिनांक 22.12.2017 को आदेश की प्रतियां प्राप्त कर दिनांक 22.01.2018 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के खण्डन में किसी प्रकार का जवाब अथवा प्रतिशपथपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अब अपील मेमो के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा अपीलार्थी के पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 21.09.2001 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 29.11.2001 से गलत आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम माहुपुरा की आ0नं0 96 व 101 में दर्ज खातेदारान श्री जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा क्रय किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त विक्रय पत्र के अनुसार सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं कर अपीलार्थी के नाम पर 4/10 हिस्सा ही दर्ज किया शेष 1/10 हिस्सा पुनः इन खातेदारों के नाम पर यथावत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का कथन है कि राजस्व रिकॉर्ड में इन सभी खातेदारों के नाम ही दर्ज थे और इनसे सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया तभी से क्रय शुदा 1/2 हिस्से पर अपीलार्थी काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। श्री मथुरा पिता भंवर कलावत की मृत्यु का जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 में केफियत में विवरण अंकित था जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी न ही उक्त सहखातेदारान के द्वारा अपने 1/2 हिस्से को विक्रय करते समय इस तथ्य की जानकारी नहीं दी तथा सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा सप्रतिफल विक्रय किया ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर मात्र 4/10 हिस्सा दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की है। जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.02.2018 के साथ संलग्न नामान्तरकरण संख्या 147 के कॉलम 07 में दर्ज अनुसार श्री रमेश वगैरह 1/2 जगन्नाथ, मथुरा, रतना,राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत 1/2सा0 तिलस्वा दर्ज था तथा श्री मथुरा के फौत होने से ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित उक्त नामान्तरकरण दिनांक 05.02.2001 के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 147 के कॉलम संख्या 9 में श्री मथुरा का हिस्सा इस प्रकार परिवर्तन हुआ अर्थात श्री रमेश वगैरह 1/2 जगन्नाथ, रतना, राधेश्याम, मोहन पिता भंवरलाल कलावत 1/2 सा0 तिलस्वा खातेदार। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा ग्राम माहुपुरा की आराजी नम्बर 96 व 101 को जरिये विक्रयपत्र दिनांक 29.09.2000 से 1/2 हिस्सा श्री जगन्नाथ, राधेश्याम, रतना, मोहन पिता भंवरलाल कलावत का क्रय करने हेतु पंजीबद्ध कराया परन्तु उक्त दिनांक 29.09.2000 को राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विक्रेताओं के साथ श्री मथुरा पिता भंवरलाल कलावत भी सह खातेदार होकर 1/10 हिस्सा था जिसे अपीलार्थी के द्वारा क्रय नहीं किया है । क्योंकि श्री मथुरा के फौत होने का नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 05.02.2001 को निर्णित हुआ । इस प्रकार अपीलार्थी ने मृतक मथुरा के अलावा अन्य सहखातेदारों का हिस्सा ही क्रय किया जो 4/10 हिस्सा बनता था और उसी के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर दर्ज करने का नामान्तरकरण संख्या 158 निर्णय दिनांक 29.11.2001 को पारित करने में कोई त्रुटी नहीं की है। अतएवः—

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बिजौलिया नामान्तरकरण संख्या 158 ग्राम माहुपुरा निर्णय दिनांक 29.11.2001 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा